



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

क्रमांक 115/ समुकाअ/चिप्स/2020

रायपुर, दिनांक 18/ 01 /2021

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,

सरगुजा वनमंडल, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़).

विषय : Diversion of forest Land for non-forest purpose under forest conservation act 1980 proposed for BharatNet Project Phase II Surguja Forest Division, which is a GOI initiative under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS and 85 Blocks through optical fiber cable laying approximately 32466 km, The laying of OFC will involve 26 district across the state, area – 8.903 ha regarding.
पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/42621/2019

संदर्भ : 1. आप का पत्र क्रमांक/तक.अधि../1839 दिनांक 21.12.2020।
2. आवेदक संस्थान चिप्स का पत्र क्रमांक 2023/समुकाअ/चिप्स/2020 दिनांक 25.11.2020।

महोदय,

विषयांकित संदर्भ में लेख है कि सरगुजा जिले के सरगुजा वनमंडल में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन रायपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारतनेट परियोजना फेस – 2 अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु कुल रकबा 8.903 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव में कार्यालय वन मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बिन्दुओ में अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी जिसकी पूर्ति आवेदक संस्थान द्वारा की गई है। किन्तु नोडल कार्यालय द्वारा इसमें से बिंदु क्र. 2 एवं 3 को अमान्य करते हुए लेख किया गया कि बिंदु क्र. 2 एवं 3 के पूर्ण पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो पायेगा। इस परिपेक्ष में बिंदु क्र. 2 एवं 3 में चाही गई जानकारी प्रस्तुत किया जा रहा है जो इस प्रकार है :-



बिंदु क्र.	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
2	अनुसार राजस्व वन भूमि उपयोग हेतु कलेक्टर की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	कलेक्टर, जिला सरगुजा द्वारा राजस्व वन भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया गया है। (पत्र क्र. 1308/ अ.भू.अ./2021दिनांक 14.01.2021)
3	प्रस्ताव में वन विकास निगम से सम्बंधित कुछ वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है किन्तु उक्त प्रभावित वन क्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग (भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाने) हेतु वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।	वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया गया है। (पत्र क्र. 1180दिनांक 02.12.2020) जिसमें मंडल प्रबंधक द्वारा स्पष्ट किया गया है की प्रस्ताव में उल्लेखित वन कक्ष क्र. पी 183, पी 184, एवं पी 185 वन विकास निगम के अंतर्गत नहीं आ रहा है अतः उक्त वन कक्ष को सामान्य वनमंडल के अंतर्गत ही माना जावे।

बिंदु क्र. 2 एवं 3 में चाही गई जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

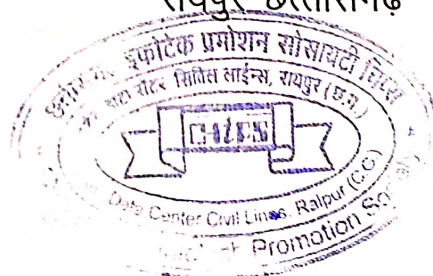
क्रमांक 115 / समुकाअ/चिप्स/2020
A

रायपुर, दिनांक 18/ 01 /2021

प्रतिलिपि :-

- मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



कलेक्टर सरगुजा, (भू-अभिलेख शाखा) अम्बिकापुर (छ० ग०)

क्रमांक /1308/अ०भू०अ०/2021

अम्बिकापुर, दिनांक 14/01/2021

(अनापत्ति प्रमाण-पत्र)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाइन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -2" के सफल क्रियान्वयन हेतु सरगुजा जिला क्षेत्र के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत बतौली, लखनपुर, लुंझा एवं मैनापाट ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित 0-936 है. राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र "CEO छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर" के नाम से प्रदान करने विषयक अनुरोध ।

सन्दर्भ:- प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का पत्र क्रमशः भानेप्रो-II/वनभूमि/एफआर ए-अनापत्ति/ 2019-20/14, रायपुर दिनांक 5-10-2019 तथा पत्र क्रमांक भानेप्रो-II/वनभूमि/एफआरए-अनापत्ति/ 2019-20/14-B रायपुर दिनांक 15-12-2020

—000—

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाइन रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -2" के तहत सरगुजा जिला क्षेत्र के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत बतौली, लखनपुर, लुंझा एवं मैनापाट विकासखण्ड अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है: -

राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल)

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक.	रकबा (हे.मे.)	मद	रिमार्क
1	बतौली	चंवरपानी	420	0.006	बड़े झाड़ का जंगल	
2	बतौली	सरस्वतीपुर	307	0.003	बड़े झाड़ का जंगल	
3	बतौली	सरस्वतीपुर	566/3	0.001	छोटे झाड़ का जंगल	
4	लखनपुर	तीरकेला	221/1	0.062	बड़े झाड़ का जंगल	

कलेक्टर
सरगुजा (छ.ग.)

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा कमांक.	रकबा (हे.गे.)	मद	रिमार्क
5	लखनपुर	अमदला	474/1	0.061	छोटे झाड़ का जंगल	
6	लखनपुर	अमदला	494	0.036	छोटे झाड़ का जंगल	
7	लखनपुर	कुसू	1401/1	0.006	बड़े झाड़ का जंगल	
8	लखनपुर	कुसू	1/1	0.013	बड़े झाड़ का जंगल	
9	लखनपुर	कुसू	3/1	0.010	बड़े झाड़ का जंगल	
10	लखनपुर	गोरयापीपर	214/8	0.015	बड़े झाड़ का जंगल	
11	लखनपुर	अमदला	54/5	0.018	छोटे झाड़ का जंगल	
12	लखनपुर	अमदला	86/1	0.029	छोटे झाड़ का जंगल	
13	लखनपुर	कुन्नी	306/1	0.072	बड़े झाड़ का जंगल	
14	लखनपुर	कुन्नी	344/1	0.054	छोटे झाड़ का जंगल	
15	लखनपुर	माजा	303/1	0.020	छोटे झाड़ का जंगल	
16	लखनपुर	माजा	278/9	0.016	छोटे झाड़ का जंगल	
17	लखनपुर	कन्टिदा	133/1	0.018	छोटे झाड़ का जंगल	
18	लखनपुर	कन्टिदा	135/1	0.068	छोटे झाड़ का जंगल	
19	लखनपुर	तीरकेला	3/3	0.027	छोटे झाड़ का जंगल	
20	लखनपुर	तीरकेला	184/1	0.016	छोटे झाड़ का जंगल	
21	लखनपुर	जूनाडीह	38/2	0.039	छोटे झाड़ का जंगल	
22	लखनपुर	तीरकेला	197/32	0.022	छोटे झाड़ का जंगल	
23	लखनपुर	करई	123/10	0.015	छोटे झाड़ का जंगल	
24	लखनपुर	कुन्नी	1125/1	0.024	छोटे झाड़ का जंगल	
25	लखनपुर	कुन्नी	1046/18	0.010	छोटे झाड़ का जंगल	
26	लखनपुर	करई	15/1	0.009	छोटे झाड़ का जंगल	
27	लखनपुर	करई	149/5	0.002	छोटे झाड़ का जंगल	
28	लखनपुर	बंधा	23/1	0.005	छोटे झाड़ का जंगल	
29	लखनपुर	बंधा	148	0.003	छोटे झाड़ का जंगल	
30	लखनपुर	कन्टिदा	657/1	0.001	छोटे झाड़ का जंगल	
31	लखनपुर	कन्टिदा	26/14	0.010	छोटे झाड़ का जंगल	


 सारनिका (छ.ग.)

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा कमांक.	रकबा (हे.मे.)	मद	रिमार्क
32	लखनपुर	कन्टिदा	136/8	0.014	छोटे झाड़ का जंगल	
33	लखनपुर	कन्टिदा	183/1	0.036	छोटे झाड़ का जंगल	
34	लखनपुर	अमदला	790/1	0.028	छोटे झाड़ का जंगल	
35	लखनपुर	गुमगराकला	392/1	0.031	छोटे झाड़ का जंगल	
36	लखनपुर	गुमगराकला	843/3	0.016	छोटे झाड़ का जंगल	
37	लुण्ड्रा	सायरराई	422/1	0.004	बड़े झाड़ का जंगल	
38	लुण्ड्रा	पुरकेला	214/1	0.008	छोटे झाड़ का जंगल	
39	लुण्ड्रा	लालमाटी	351/77	0.031	बड़े झाड़ का जंगल	
40	लुण्ड्रा	लालमाटी	321/2	0.008	बड़े झाड़ का जंगल	
41	लुण्ड्रा	लालमाटी	289/1	0.022	बड़े झाड़ का जंगल	
42	लुण्ड्रा	दिवरी	507/1	0.002	बड़े झाड़ का जंगल	
43	लुण्ड्रा	उदारी	642/1	0.010	छोटे झाड़ का जंगल	
44	मैनपाट	सरभंजा	1242	0.002	बड़े झाड़ का जंगल	
45	मैनपाट	सरभंजा	1243	0.001	बड़े झाड़ का जंगल	
46	मैनपाट	सरभंजा	1306	0.009	बड़े झाड़ का जंगल	
47	मैनपाट	सरभंजा	1090	0.002	बड़े झाड़ का जंगल	
48	मैनपाट	उडुमकेला	408/1	0.018	छोटे झाड़ का जंगल	
49	मैनपाट	असगावां	8/1	0.003	छोटे झाड़ का जंगल	
योग				0.936		

चूँकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
सरगुजा (अभिकापुरा.)



छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

कार्यालय मंडल प्रबंधक, सरगुजा परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

दूरभाष एवं फैक्स : 07774 - 241187, EmailID :- Dmsarguja@rediffmail.com

क्रमांक/वविनि/स.प.म./स्टोर/2020/ 1180
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक : 02/12/2020

प्राधिकृत अधिकारी,
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
वास्ते - संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)
रायपुर (छ.ग.)

D.F.O.
Surguja Division
Ambikapur

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation act 1980 proposed for BHaratNet Project Phase-II Surguja Division Bharatnet Project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 PGs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State. Area 8.903 Ha. Reg. No. FP/CG/OFC/42621/2019

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/भानेप्रो-11/वनभूमि/प्रस्ताव/2019-20 रायपुर दिनांक 02.12.2020

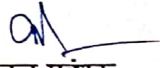
—00—

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र में भारतनेट परियोजना फेस-2 के तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वन कक्ष क्र. पी 183 (0.961 हे.), पी 184 (0.686 हे.) तथा पी 185 (0.309 हे.) कुल रकबा 1.952 के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लेख किया गया है।

तत्संबंध में सूचित किया जाता है कि कक्ष क्र. पी 183 (0.961 हे.), पी 184 (0.686 हे.) तथा पी 185 (0.309 हे.) वन विकास निगम के अंतर्गत नहीं है।

सधन्यवाद,


मण्डल प्रबंधक
सरगुजा परियोजना मण्डल
अम्बिकापुर (छगो)